

०१/१२/२६

उपखण्ड अधिकारी  
मुहम्मद (खैरात-सिजारा)

१/१२/२६ पावणी पेडा वगैरे बाकी उदण बाकी  
का बाणपा का रानी गार विपत जाणार  
विशुद सिर्गद दमक सिर्गद जाणार  
पावणी शाठिल विपत गार पावणी सोदल  
उदणके नमर न बाकी गार पावणी  
जे का लेख नमर न शाठिल

उपखण्ड अधिकारी  
मुहम्मद (खैरात-सिजारा)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :- सृष्टि जैन (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र संख्या

दायर दिनांक

आदेश दिनांक

55/2025

09.05.2025

09.02.2026

बउनवान

1. राजबाला पुत्री कमला देवी जाति जाट निवासी भानोत तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा, राज0 हाल पत्नी सूबेसिंह हाल निवासी रायपुर जाटान तह0 कोटकासिम जिला खैरथल तिजारा, राज0।

—: प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा, राज0।

—: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र – अन्तर्गत धारा 136

भू0 राजस्व अधिनियम 1956

श्री बालकृष्ण भारद्वाज :- प्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार निम्न प्रकार से है कि :-

1. यह है कि आराजी हाल ख0न0 493 रकबा 0.70 हैक0, 496 रकबा 0.90 हैक0, 168 रकबा 0.05 हैक0, 169 रकबा 0.11 हैक0, 179 रकबा 0.44 हैक0, 175 रकबा 0.01 हैक0, 176 रकबा 0.35 हैक0, 177 रकबा 0.01 हैक0, 178 रकबा 0.43 हैक0, 162 रकबा 0.09 हैक0, वाके ग्राम भानोत तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा, राज0 में स्थित है। उक्त आराजी में हो रहा प्रार्थीया के नाम व प्रार्थीया की वल्दीयत के नाम दुरुस्ती का बाबत विवाद है, जो प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलायेगी।
2. यह है कि उक्त आराजी में मिन प्रार्थीया के हक हकूक कानूनन निहित है तथा मिन प्रार्थीया अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर काशत कर रही है, मोके पर कब्जा काशत बाबत कोई विवाद नहीं है। उक्त आराजी गिन प्रार्थीया को उसकी माता में विरासत में प्राप्त हुयी है।
3. यह है कि प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में राजो व मिन प्रार्थीया की माता का नाम कही रामकलां व कही कमला दर्ज रहने से मिन प्रार्थीया आराजी में प्राप्त समस्त अधिकारों केडिट कार्ड के ऋण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, विक्रय, विनिमय, हिबा आदि सुविधाओं के लाभ से वंचित हो रही है। जबकी प्रार्थीया के कब्जे एवं खातेदारी के बाबत कोई विवाद नहीं है। प्रार्थीया राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके के अनुसार रिकॉर्डस खातेदार काबिज काशतकार है।

उपखण्ड अधिकारी  
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)



4. यह है कि प्रार्थीया के पहचान के समस्त दस्तावेजात मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक, शिक्षा के दस्तावेज पैन कार्ड आदि में सभी में नाम राजबाला दर्ज है तथा मिन प्रार्थीया की वल्दीत कमला दर्ज है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में मिन प्रार्थीया का नाम राजो दर्ज हो रहा है तथा मिन प्रार्थीया की माता का नाम कही रामकला व कही कमला दर्ज है, जिसे मिन प्रार्थीया दुरुस्त कराकर अपना नाम राजबाला वल्दीयत कमला दर्ज कराना चाहती है। जिसके लिये प्रार्थना पत्र पेश किया जाना लाजिमी आया है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि :-


- अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि उक्त आराजी हाल ख0न0 493 रकबा 0.70 हैव0, 496 रकबा 0.90 हैव0, 168 रकबा 0.05 हैव0, 169 रकबा 0.11 हैव0, 179 रकबा 0.44 हैव0, 175 रकबा 0.01 हैव0, 176 रकबा 0.35 हैव0, 177 रकबा 0.01 हैव0, 178 रकबा 0.43 हैव0, 162 रकबा 0.09 हैव0, वाके ग्राम भानोत तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा, राज0 के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित प्रार्थीया का नाम राजो व वल्दीयत कही रामकला व कही कमला देवी को हजफ किया जाकर, उसके स्थान पर राजबाला पुत्री कमला देवी दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे। महति कृपा होगी।

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, मृत्यू प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत का पत्र, जामबन्दी सम्मत 2072-75 किता 06 पेश की है।

प्रार्थीया अधिवक्ता ने प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र के समर्थन में लिखित बहस पेश की है। यह है कि प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम भानोत के हाल खसरा नं0 493 रकबा 0.70 हैव0 खसरा नं0 496 रकबा 0 90 हैव0 खसरा नं0 168 रकबा 0.05 हैव0 खसरा नं0 169 रकबा 0.11 हैव0 खसरा नं0 179 रकबा 0.44 हैव0 खसरा नं0 175 रकबा 0.01 हैव0 खसरा नं0 176 रकबा 0.33 हैव0 खसरा नं0 177 रकबा 0.01 हैव0 खसरा नं0 178 रकबा 0.43 हैव0 खसरा नं0 162 रकबा 0.09 हैव0 में मिन प्रार्थीया का नाम राजो पुत्री कमला उर्फ रामकला जाति जाट साकिन देह अंकन हाल जमाबंदी में हो रहा है जबकि राजो पुत्री कमला का वास्तविक नाम राजबाला पुत्री कमला हैं।

यह है कि विवादित खसरा नंम्बरान में मिन प्रार्थीया राजबाला की वल्दीयत कमला देवी व रामकला राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है जबकि मिन प्रार्थीया राजबाला की माता का वास्तविक नाम कमला देवी है।

यह है कि मिन प्रार्थीया राजबाला के समस्त दस्तावेजात मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड बैंक पासबुक आदि दस्तावेजात में मिन प्रार्थीया का नाम राजबाला

  
उपसंग्रह अधिकारी  
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

दर्ज है तथा संरपच ग्राम पचायत भानोत प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र कमला देवी का पत्रावली में प्रस्तुत हैं, या शामिल मिसल हैं, जिसमें मिन प्रार्थिया की माता का नाम कमला देवी दर्ज हैं।

यह है कि न्यायालय श्रीमान में उक्त प्रार्थना पत्र की रिपोर्ट मय चौकलिस्ट भिजवाने बाबत तह० मुण्डावर का पत्र कमांक/2025/266 दिनांक 12/09/2025 को जारी किया गया जिसकी पालना में कार्यालय तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पत्र कमांक/भू० अ०/2025/ 10139 दिनांक 09/12/2025 में रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें राजो उर्फ राजबाला मिन प्रार्थिया का ही वास्तविक नाम है तथा मिन प्रार्थिया की माता का नाम कमला व रामकला राजस्व रिकॉड में दर्ज है, जबकि मिन प्रार्थिया की माता का वास्तविक नाम कमला देवी है

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि हाल खसरा नं० 493 रकबा 0.70 हैव० खसरा नं० 496 रकबा 0.90 हैव० खसरा नं० 168 रकबा 0.05 हैव० खसरा नं० 169 रकबा 0.11 हैव० खसरा नं० 179 रकबा 0.44 हैव० खसरा नं० 175 रकबा 0.01 हैव० खसरा नं० 176 रकबा 0.33 हैव० खसरा नं० 177 रकबा 0.01 हैव० खसरा नं० 178 रकबा 0.43 हैव० खसरा नं० 162 रकबा 0.09 हैव० वाके ग्राम भानोत आराजी में राजो पुत्री कमला व राजो पुत्री रामकला को हजफ कर उसके स्थान पर राजबाला पुत्री कमला देवी दर्ज किया जाना उचित है।

प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता की लिखित बहस पर मनन करने पर विवेचन इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रार्थिया का नाम राजबाला पुत्री कमला देवी है। इसलिए यह न्यायालय प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

#### आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थना पत्र को स्वीकर किया जाता है कि आराजी हाल ख०न० 493 रकबा 0.70 हैव०, 496 रकबा 0.90 हैव०, 168 रकबा 0.05 हैव०, 169 रकबा 0.11 हैव०, 179 रकबा 0.44 हैव०, 175 रकबा 0.01 हैव०, 176 रकबा 0.35 हैव०, 177 रकबा 0.01 हैव०, 178 रकबा 0.43 हैव०, 162 रकबा 0.09 हैव०, वाके ग्राम भानोत तह० मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा के राजस्व रिकॉड में दर्ज राजों पुत्री रामकला व राजो पुत्री कमला देवी को कलमजन किया जाकर प्रार्थिया राजबाला पुत्री कमला देवी के नाम का अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(सृष्टि जैन)

उपखण्ड अधिकारी  
मुण्डावर, खैरथल, तिजारा, राज०